बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06/विविध–03/2010– 2742 खाद्य, पटना/दिनांक– 21.4.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0,
सोन भवन, पटना ।
सभी जिला पदाधिकारी
सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी

विषय :– खाद्यान्न के उठाव से सम्बन्धित फूड कैलेन्डर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्र संख्या 784 दिनांक 08.02.2010 द्वारा खाद्यान्न उठाव के सम्बन्ध में व्यापक दिशा–निर्देश दिए गये है । इसके अनुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न की राशि जमा करने से लेकर राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न प्राप्त कर लाभुकों के बीच वितरण तक का समय सीमा निर्धारित है । तदनुसार खाद्यान्न के उठाव के सम्बन्ध में एक फूड कैलेन्डर विभाग द्वारा तैयार किया गया है जिसमें खाद्यान्न उठाव एवं वितरण के विभिन्न चरण की समयावधि के साथ–साथ इसके अनुपालन के दायित्व से सम्बन्धित पदाधिकारियों/विक्रेताओं का निर्धारण भी इसमें किया गया है ।

अतः खाद्यान्न के उठाव से सम्बन्धित फूड कैलेन्डर इसके साथ संलग्न करते हुए कहना है कि इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक की जाय । यह भी अनुरोध है कि सम्बन्धित पदाधिकारियों/विक्रेताओं को भी इससे अपने स्तर से अवगत करा दिया जाए । अनुमंडल पदाधिकारियों को विशेष रूप से निदेशित किया जाय कि इस कैलेन्डर का व्यापक प्रचार–प्रसार करावें एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान के सूचना पट पर भी प्रदर्शित करावें ।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव ।

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

फूड कैलेन्डर

क्र0	तिथि/अवधि	कार्यक्रम	अनुपालन का दायित्व
1.	आवंटन माह के पूर्ववर्ती माह के पूर्व माह के अन्तिम सप्ताह में	पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आवंटन आदेश जारी करना	अनुमंडल पदाधिकारी/ पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
2.	आवंटन माह की पूर्ववर्ती माह की 10 वीं तिथि तक	आवंटित खाद्यान्न के उठाव हेतु जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा राज्य खाद्य निगम को खाद्यान्न का मूल्य जमा करना ।	अनुमंडल पदाधिकारी/ पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/जन वितरण प्रणाली विक्रेता
3.	आवंटन माह की पूर्ववर्ती माह की 15 वीं तिथि तक	जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा जमा किये गये राशि के विरूद्ध उठाव हेतु राज्य खाद्य निगम द्वारा विक्रेताओं को भंडार निर्गमादेश (S.I.O) जारी किया जाना ।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम
4.	आवंटन माह की पूर्ववर्ती माह की 20 वीं तिथि तक	राज्य खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का विमुक्ति आदेश (R.O) क्रय करना ।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम
5.	आवंटन माह की पूर्ववर्ती माह की पहली तिथि से आवंटन माह की 20 वीं तिथि तक	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न उठाव करना ।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ जिला प्रबंधक/गोदाम प्रबंधक राज्य खाद्य निगम
6.	आवंटन माह की पहली तिथि से 20 वीं तिथि तक	राज्य खाद्य निगम द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति करना ।	जिला प्रबंधक/गोदाम प्रबंधक राज्य खाद्य निगम
7.	आवंटन माह की पहली तिथि से 30 वीं तिथि तक	जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लाभूकों को खाद्यान्न का वितरण करना ।	अनुमंडल पदाधिकारी/ पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/जन वितरण प्रणाली विक्रेता